न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, **I.A.S.**

वादपत्र संख्या 92 / 2015
अन्तर्गत धारा 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सुरजीतसिंह,
2. अर्जनसिंह
3. भानसिंह एवं
4. श्रीमती जोगिन्द्रो आत्मजन श्री गुरमुखसिंह, रायसिख, चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगगानगर.
5. श्रीमती कौशल्यादेवी धर्मपतनी श्री गुरमुखसिंह, रायसिख, चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगगानगर.

...वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह,
2. कुशालसिंह,
3. श्रीमती रानोबाई एवं
4. श्रीमती शान्तिबाई आत्मजन श्री बख्तावरसिंह, रायसिख, गांव पंजावा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री मोहनलाल माहर (वादीगण)
श्री अमरसिंह (प्रतिवादीगण)

दिनांक 16 अक्तूबर, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नबर 60 किला नम्बर 4 से 7, किला नम्बर 13 से 18 एवं किला नम्बर 23 से 25 कुल 3.048 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पिता श्री बख्तावरसिंह आत्मज श्री पठानासिंह को पुर्नवास विभाग द्वारा आवंटित की गयी थी. श्री बख्तावरसिंह द्वारा पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये राशि की आवश्यकता होने पर उक्त कृषि भूमि में से 6.05 बीघा को विक्रय करने का इकरारनामा वादीगण के पिता श्री गुरमुखसिंह के साथ तथा शेष 6.05 बीघा को विक्रय करने का विक्रय विलेख श्री दरबारासिंह के साथ कर विक्रयाधीन कृषि भूमि का भौतिक कब्जा सौंप दिया गया. इकरारनामा के दिवस ही श्री बख्तावरसिंह की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी द्वारा शपथपत्र भी निष्पादित किया गया. केता श्री गुरमुखसिंह की मृत्योपरान्त वादीगण जायज वारिसान हैं तथा श्री बख्तावरसिंह की मृत्योपरान्त प्रतिजवादीगण उसके जायज वारिसान हैं. प्रतिवादीगण द्वारा श्री बख्तावरसिंह की मृत्योपरान्त प्रश्नगत कृषि भूमि का

विरासतन नामान्तरकरण संख्या 710 दिनांक 20 मार्च, 2015 दर्ज करवा लिया गया जबकि मौका पर कोई कब्जा काश्त प्रतिवादीगण की नहीं है. नामान्तरकरण वादीगण के अधिकारों पर प्रारम्भतः शून्य होने के कारण प्रभावहीन एवं शून्य है. चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में गैर खातेदारी दर्ज है और डी.पी.एण्ड सी.आर. उएक्ट के री–पील हो जाने से समस्त धारा 19(2) की कार्यवाही पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष नियमन की कार्यवाही विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा वादीगण के पिता का कब्जा स्वीकार किया गया, यही नहीं, पत्रावली में कब्जा की मांग की गयी जिस पर श्रीमान पुर्नवास अधिकारी द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 09 जून, 2014 निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व कोई अपील, निगरानी अथवा पुनरीक्षण प्रस्तुत नही होने के कारण अन्तिम हो चुका है. प्रश्नगत कृषि भूमि पर वादीगण का शान्तिपूर्ण कब्जा चला आ रहा है. किन्तु प्रतिवादीगण लालचवश येनकेन–प्राकरेण, वादीगण को बेदखल करना चाहते हैं, जिसकी बाबत माननीय न्यायालय के समक्ष वादपत्र शीर्षक कुशालसिंह बनाम अर्जनसिंह प्रस्तुत किया गया जिसमें भी कब्जा के अभाव में स्थगन आवेदनपत्र दिनांक 7 जुलाई, 2015 को निरस्त किया गया जिसके विरूद्व प्रस्तुत अपील भी दिनांक 16 जुलाई, 2015 को निरस्त की जा चुकी है. वादीगण का कब्जा साधिकार है जिसके नियमन की कार्यवाही विचाराधीन है किन्तु प्रतिवादीगण बाहुबल के आधार पर जबरन बेदखल करने में प्रयासरत हैं. मौका पर कब्जा बाबत झगड़े भी हो चुके हैं इसलिये वादीगण द्वारा गांव के सम्मानित व्यक्तियों सहित प्रतिवादीगण से दिनांक 27 अगस्त, 2015 को निवेदन किया गया तो प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी गयी और कहा गया कि पहले तो बच गये, अब हम और व्यक्तियों को लाकर कब्जा करेंगे. यही वादहेतुक है. इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि प्रतिवादीगण, वादीगण के कब्जा काश्त में स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप करने से निषिद्व रहें. इस प्रकार वादीगण द्वारा चक 1 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 4 से 7, किला नम्बर 15, 16 एवं किला नम्बर 25 की 6.05 बीघा कृषि भूमि पर स्वयं अथवा किसी अन्य की सहायता से हस्तक्षेप करने से निषिद्व रहें. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 1 सी बड़ी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071, अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संगम, सुजावलपुर द्वारा जारी पानी की पर्ची, दस्तावेज इकरारनामा बैय दिनांक 22 अप्रेल, 1992, शपथपत्र दिनांक 22 अप्रेल, 1992, पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 22 जनवरी, 1975, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(पुर्नवास), श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 48/2012 शीर्षक कुशालसिंह व अन्य बनाम दरबारासिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09 जून, 2014, जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा

पत्रावली संख्या 261/1989 में पारित आदेश दिनांक 30 अक्तूबर, 1991, श्री अमरसिंह द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांक 20 फरवरी, 2015 मय रिपोर्ट पटवारी हल्का, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 135/2015 शीर्षक कुशालसिंह व अन्य बनाम अरजनसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16 जुलाई, 2015 एवं श्री गुरमुखसिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 09 मार्च, 2015 की चित्रित प्रतियां सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 08 अक्तूबर, 2015 अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन वाद में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 92 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम द्वारा चक 1 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 4 से 7, किला नम्बर 13 से 18 एवं किला नम्बर 23 से 25 कुल 3.048 हैक्टर में से 6.05 बीघा का इकरारनामा प्रतिवादी के पिता श्री बख्तावरसिंह द्वारा वादी के पिता श्री गुरमुखसिंह के पक्ष में निष्पादित किये जाने का कथन करते हुऐ इकरारनामा के आधार पर अपने कब्जाधीन कृषि भूमि का उल्लेख किया गया है. प्रतिवादी के पिता द्वारा कभी भी ऐसा इकरारनामा वादी के पिता श्री गुरमुखसिंह के साथ नहीं किया गया. वादी द्वारा इकरारनामा की प्रस्तुत प्रतिलिपि, फर्जकारी कर तैयार की गयी प्रतीत होती है. उक्त इकरारनामा की सत्यता के लिये एवं प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में जवाब दिये जाने से पूर्व वर्णित इकरारनामा की सत्यता की जांच की जानी आवश्यक है. तथा मूल इकरारनामा प्रस्तुत करवाया जाकर न्यायालय द्वारा सत्यता की जांच की जानी आवश्यक है. चूंकि प्रतिवादी द्वारा यह कथन किया गया है कि उनके पिता द्वारा कोई इकरारनामा नहीं किया गया. यदि वादी के पक्ष में कोई इकरारनामा निष्पादित किया गया है तो वादी को न्यायालय के समक्ष जवाब वादपत्र से पूर्व मूल इकरारनामा पेश किया जाना आवश्यक है. वादी द्वारा मा. न्यायालय को गुमराह करने के प्रयास में इकरारनामा की चित्रित प्रति फर्जी प्रस्तत कर प्रथम दृष्टया स्थगन आदेश जारी करवाया गया है जसे चित्रित प्रति के आधार पर ही स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते हैं, जो न्यायहित में नहीं है. इस प्रकार जवाब वादपत्र से पूर्व वादी से मूल इकरारनामा 6.05 बीधा से सम्बन्धित एवं श्री गुरमुखसिंह के पक्ष में निष्पादित, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत व प्रकृटिकरण करवाने के आदेश हेतु निवेदन किया गया.

वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 02 नवम्बर, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादपत्र की विषयवस्तु इकरारनामा की सत्यता के सम्बन्ध में कोई क्षेत्राधिकार मा. न्यायालय

को नहीं है. वादी द्वारा केवल धारा 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कब्जा के संरक्षण बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है. इकरारनामा पर न केवल श्री बख्तावरसिंह का अंगूठा निशान अंकित है बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर अंकित हैं जिसे प्रतिवादी द्वारा कतई इन्कार नहीं किया गया है व न ही अन्य कोई कार्यवाही की गयी है. चूंकि प्रतिवादी द्वारा अभी तक जवाब वादपत्र प्रस्तुत नहं किया गया इसलिये प्रतिवादी द्वारा यह कथन नहीं किया जा सकता कि उक्त दस्तावेज उसके पिता श्री बख्तावरसिंह द्वारा निष्पादन नहीं किया गया. वादी द्वारा स्वच्छ हाथों से वादपत्र प्रस्तुत किया गया है बल्कि वादपत्र को देरीना करने की दृष्टि से आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार आवेदनत्र सव्यय एवं विशेष हर्जाना सहित निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर वादी को प्रकरण में प्रश्नगत इकरारनामा की मूल प्रति आगामी तिथि को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये. जिसकी पालना में वादी द्वारा दिनांक 11 अक्तूबर, 2016 को मूल इकरारनामा दिनांक 22 अप्रेल, 1992 एवं हलफनामा दिनांक 22 अप्रेल, 1992 प्रस्तुत किये गये.

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 25 फरवरी, 2016 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादीगण के पिता द्वारा राशि की आवश्यकता के लिये अथवा किसी कारणवश कोई इकरारनामा वादीगण के पिता एवं श्री दरबारासिंह के साथ नहीं किया गया इसलिये प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा सौंपे जाने का कोई प्रश्न ही विद्यमान नहीं है. मूल इकरारनामा प्रस्तुत करने पर ज्ञान हुआ है कि इकरारनामा पर जो हस्ताक्षर एवं अंगूठे हैं वह प्रतिवादी अमरसिंह, बख्तावरसिंह एवं लक्ष्मी के नहीं है एवं न ही उनके द्वारा कभी कोई स्टाम्प ही क्रय किया गया व न ही नोटेरी के समक्ष उपस्थित आकर इकरारनामा एवं शपथपत्र निष्पादित किया गया. चूंकि वादीगण मृतक श्री गुरमुखसिंह के जायज वारिसान हैं जिसके आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि का नामान्तरकरण दिनांक 23 मार्च, 2015 प्रमाणित किया गया है. प्रतिवादीगण जायज वारिसान होने एवं कब्जा प्रतिवादीगण के पास होने के कारण वर्तमान में प्रश्नगत कृषि भूमि पर काश्त कर रहे हैं. नामान्तरकरण वारिसान के आधार पर एवं कानूनी रूप से होने के कारण करवाया गया है जो वादीगण एवं हरखास आम पर प्रभाव रखता है. वादीगण उनके शान्तिपूवर्क चले आ रहे कब्जा काश्त में हस्तक्षेप कर छीनने का प्रयास कर रहे हैं. पुर्नवास अधिकारी द्वारा विधि विरूद्व आवेदनपत्र निरस्त किया गया है जिसके विरूद्व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की

जा रही है. वादीगण का न तो कब्जा है व न ही किसी भी प्रकार के अभिलेखीय साक्ष्य ही हैं. स्थगन आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर दी गयी है. जब वादीगण के पास कोई कब्जा ही नहीं है तो झगड़े की आशंका वादीगण द्वारा किया जाना सम्भावित है. वादीगण को फर्जी इकरारनामा से किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं. विधि की स्थिति है कि प्रश्नगत कृषि भूमि गैर खातेदारी कस्टोडियन विभाग है, जिसकी खातेदारी सन्द जारी नहीं हुई है एवं अभी तक उक्त कृषि भूमि को स्वामित्वाधिकार राज्य सरकार में निहित हैं जिसकी जानकारी वादीगण को भी है इसलिये विधि रूप से भी किसी प्रकार से प्रश्नगत कृषि भूमि का कथित इकरारनामा अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है इसलिये वादीगण को इकरारनामा के आधार पर कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते हैं. शेष धमकी दिये जाने के कथन वादपत्र को रोचक बनाने एवं बिना किसी औचित्य एवं आधार के मात्र वादकरण की उत्पत्ति के उद्देश्य से अंकित किये गये हैं. प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत पटवारी हल्का द्वारा मौका की रिपोर्ट दी जा चुकी है जिसके आधार पर वादीगण का कब्जा साबित नहीं होता है. उक्त वाद केवल मात्र कब्जा सिद्व करने के लिये ही प्रस्तुत किया गया है एवं माननीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते हैं जिसके वादीगण कानूनन अधिकारी नहीं है. वादीगण द्वारा विचाराधीन वादपत्र धारा 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की गलत व्याख्या कर इकरारनामा के आधार पर प्रतिवादीगण से उनका कब्जा प्राप्त करना चाहते हें एवं स्वामित्व अधिकारों की माननीय न्यायालय से अपेक्षा करते हैं जबकि उक्त इकरारनामा फर्जकारी से तैयार किया हुआ है जिसे सक्षम सिविल न्यायालय से ही सिद्व करवाया जाना आवश्यक है. इकरारनामा न तो पंजीबद्व है और न ही किसी न्यायालय से सिद्व है. प्रतिवादीगण पिछले दरवाजा के माध्यम से इकरारनामा के आधार पर काबिज होना चाहते हैं. माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार उसी स्थिति में धारित हो सकता है जब सक्षम न्यायालय उक्त फर्जी इकरारनामा का अस्तित्व एवं विधिक औचित्य मान ले. इसलिये विचाराधीन वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बद्व नही होने के कारण वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है. इस प्रकार वादपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 1 सी बडी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 4 से 7, किला नम्बर 13 से 18 एवं किला नम्बर 23 से 25 कुल 3.048 हैक्टर श्री

बख्तावरसिंह को आवंटित की गई जिसमें से श्री बख्तावरसिंह द्वारा 6.05 बीघा जरिये इकरारनामा श्री गुरमुखसिंह एवं शेष 6.05 बीघा जरिये इकरारनामा श्री दरबारासिंह को विक्रय की गयी? ....**वादीगण**

2. क्या श्री गुरमुखसिंह के वारिसान इकरारनामा द्वारा क्रय की गयी चक 1 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 4 से 7, किला नम्बर 15, 16 एवं 25 की 6.05 बीघा कृषि भूमि की बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं? ...**वादीगण**
3. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि का भौतिक कब्जा प्रतिवादीगण के पास चला आ रहा है? ....**प्रतिवादीगण**
4. अनुतोष?

विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु वादी की ओर से श्री अर्जनसिंह, श्री महेन्द्रसिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा विविध दीवानी संख्या 99/2015 शीर्षक अमरसिंह व अन्य बनाम मस्तानसिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 015, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 9/2015 शीर्षक अर्जनसिंह व अन्य बनाम अमरसिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10 सितम्बर, 2015, माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 135/2015 शीर्षक कुशालसिह व अन्य बनाम अरजनसिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16 जुलाई, 2015, इस न्यायालय द्वारा आवेदनपत्र संख्या 45/2015 शीर्षक कुशालसिंह व अन्य बनाम अरजनसिंह व अन्य में पारित आदेश दिनां 7 जुलाई, 2016, जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 26/89 शीर्षक अमरसिंह बनाम गुरमुखसिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30 अक्तूबर, 1991 एवं कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, हनुमानगढ वृत द्वारा जारी पत्रांक 1728 दिनांक 24 जुलाई, 2018 मय पंजीयन प्रमाणपत्र की चित्रित प्रतिया प्रस्तुत की गयी. साक्ष्य वादी हेतु प्रस्तुत साक्षीगण से जिरह की जाकर आदेश दिनांक 4 नवम्बर, 2016 द्वारा साक्ष्य वादी पूर्ण की गयी.

वादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 16 जनवरी, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी के विरूद्व अपराधिक प्रकरण संख्या 5/2016 शीर्षक राज्य सरकार बनाम निर्मलसिंह विचाराधीन है जिसमें साक्ष्य परिवादी हेतु मूल इकरारनामा दिनांक 22 अप्रेल, 1992 की आवश्यकता है इस हेतु इकरारनामा दिनांक 22 अप्रेल, 1992 की प्रमाणित प्रति सलंग्न की जा रही है इस प्रकार मूल इकरारनामा दिनांक 22 अप्रेल, 1992 की मूल प्रति दिये जाने का

निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 5/2016 शीर्षक राज्य सरकार बनाम निर्मलसिंह व अन्य की दिनांक 18 अप्रेल, 2016 से दिनांक 6 अक्तूबर, 2016 की आदेश प्रत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं दस्तावेज इकरारनामाबैय दिनांक 22 अप्रेल, 1992 की प्रमाणित चित्रित प्रति सलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 27 जनवरी, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन प्रकरण में तारीख पेशी मान. न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्धारित की जा रही है तथा दिनांक 20 जनवरी, 2017 को आगामी पेशी दिनांक 3 फरवरी, 2017 जवाब प्रार्थनापत्र एवं साक्ष्य प्रतिवादी हेतु निश्चित की गयी है किन्तु आज की तारीख पेशी किस आधार पर एवं किस लिये निश्चित की गयी है, इसकी जानकारी प्रतिवादी को नहीं है. मा. न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य की जानकारी दी गयी इसलिये जवाब तत्काल प्रस्तुत किया जा रहा है. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु शपथपत्र आगामी दिनांक 3 फरवरी, 2017 को दिया जा सकेगा. वादी द्वारा विचाराधीन आवेदनपत्र किस अधिनियम की किस धारा में प्रस्तुत किया गया है, का न तो अंकन किया गया है व न ही इस आधार पर प्रतिवादी विधिक जवाब देने में ही समर्थ है. वादी जिस इकरारनामा दिनांक 22 अप्रेल, 1992 की आवश्यकता अपराधिक प्रकरण संख्या 5/2016 विचाराधीन होने के तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, की बाबत न तो सम्बद्व न्यायालय का उल्लेख किया गया है व न ही किस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, का अंकन किया गया है. इसके बावजूद वादी अपने स्तर पर उक्त मूल इकरारनामा को मा. न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पत्रावली में से प्राप्त कर अन्य न्यायालय में प्रस्तुत करने का हवाला दे रहा है जिसका कोई आदेश विचाराधीन आवेदनपत्र के साथ सलंग्न नहीं है. वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र से यह अनुमान लगाया गया है कि मा. न्यायालय द्वारा उसे मूल अभिलेख बिना कारण, बिना सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उसे मूल अभिलेख बिना कारण, बिना सम्बन्धित न्यायालय का नाम बताये अथवा बिना न्यायालय की आवश्यकता के इस न्यायालय में सामान्य आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर ही न्यायालय को लौटाने हेतु बाध्य कर सकता है. प्रतिवादी द्वारा मा. न्यायालय के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत कर मूल इकरारनामा तलब किया गया है तथा साक्ष्य प्रतिवादी हेतु उपलब्ध होना आवश्यक है जिसके अभाव में साक्ष्य प्रतिवादी करवाया जाना सम्भव नहीं है. प्रकरण अंगूठा निशानी एवं हस्ताक्षरों से सम्बद्व है जो प्रमाणित प्रतिलिपि अथवा चित्रित प्रति से निस्तारित नहीं हो सकता. प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 3 फरवरी, 2017 निश्चित है जिसके लिये सम्बन्धित मूल अभिलेख की आवश्यकता रहेगी, वादी द्वारा इकरारनामा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है जबकि वादी

अधिवक्ता इस तथ्य से भली भांति भिज्ञ हैं कि अन्य किसी न्यायालय में मा. न्यायालय से प्राप्त की गयी प्रमाणित प्रतिलिपि ही साक्ष्य में ग्राह्य है. इसके बावजूद वादी द्वारा जानबूझ कर प्रतिवादी साक्ष्य से पूर्व उक्त मूल इकरारनामा को पत्रावली से हटाकर साक्ष्य प्रतिवादी करवाना चाहता है ताकि छद्म लाभ ले सके. इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत बिना किसी अधिनियम एवं बिना किसी धारा, बिना किसी औचित्य ताि बिना किसी न्यायालय की मांग के विधि विरूद्व, विधि की अनभिज्ञता से प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 09 फरवरी, 2017 द्वारा इस शर्त पर कि वादी इस आश्य का प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करे कि इस न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर वादी मूल दस्तावेज इकरारनामा बैय दिनांक 22 अप्रेल, 1992 प्रस्तुत करने के लिये पाबन्द होगा. आवेदनपत्र स्वीकार किया गया.

वादी संख्या 2 श्री अर्जनसिंह द्वारा आदेश दिनांक 09 फरवरी, 2017 की अनुपालना मे शपथपत्र प्रस्तुत कर मूल इकरारनामा प्राप्त किया गया.

साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा यथोचित अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही करने के कारण दिनांक 8 मार्च, 2017 को अन्तिम अवसर एवं आदेश दिनांक 22 मार्च, 2017 को राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर दिये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्री अमरसिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया.

साक्षी प्रतिवादी को जिरह के लिये उपस्थिति हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही किये जाने के कारण आदेश दिनांक 8 मार्च, 2017 द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा अन्तिम अवसर, आदेश दिनांक 22 मार्च, 2017 द्वारा राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर दिये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्री अमरसिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 16 जून, 2017 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र चक 1 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 4 से 7, 15, 16 एवं 25 की 6.05 बीघा कृषि भूमि से सम्बन्धित बैयनामा दिनांकित 22 अप्रेल, 1992 के निष्पादन की बाबत प्रस्तुत किया गया है. उल्लेखित बैयनामा अपंजीयत दस्तावेज है तथा बैयनामा दिनांकित 22 अप्रेल, 1992 के आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि श्री गुरमुखसिंह को राशि 57,000.00 में विक्रीत करना अंकित किया गया है. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत कोई भी स्थावर सम्पत्ति की दशा में या किसी उत्तरभोग या किसी अन्य अमूर्त वस्तु की दशा मे केवल

रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा ही किया जा सकता है. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में विवादित सम्पत्ति कृषि भूमि का मुल्य 100.00 से अधिक है और उक्त बैयनामा रजिस्ट्रीकृत लिखित के रूप में नहीं है. इसलिये विधि द्वारा बाधि होने के कारण उक्त वाद पोषणीय नहीं है जो आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहित के उपबन्धों में वाद निरस्त होने की श्रेणी में आता है. वर्तमान में पत्रावली प्रतिवादी की जिरह हेतु निश्चित है किन्तु विधि द्वारा बाधित किसी भी नियम की पालना करवाने हेतु किसी भी स्तर पर आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है. इसलिये प्रतिवादी की जिरह से पूर्व उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक है. इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा बाधित होने के कारण सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 24 जुलाई, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी द्वारा इकरारनामा के आधार पर केवल निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है. वादपत्र में उक्त विषयवस्तु नहीं है इसलिये वादपत्र किसी भी प्रकार से विधि द्वारा बाधित नहीं है. वादपत्र में वादी की साक्ष्य उपरान्त प्रतिवादी को 5 अवसर दिये जाने के उपरान्त आधारहीन तथ्यों पर आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 7 नवम्बर, 2017 द्वारा वादी द्वारा वादपत्र के बिन्दु संख्या 4 में यह अंकित किया गया है कि प्रश्नगत कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में गैर खातेदारी है तथा डी.पी.एण्ड सी.आर. एक्ट के री–पील होने से समस्त धारा 19(2) की कार्यवाही पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष नियमन हेतु विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं हाजिर होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जाकर वादीगण के पिता का कब्जा स्वीकार किया गया है यही नहीं बल्कि पुनः कब्जा प्राप्त करने का निवेदन किया गया जिसे श्रीमान पुर्नवास अधिकारी द्वारा दिनांक 09 जून, 2014 द्वारा निरस्त किया गया है जिसकी कोई अपील, निगरानी, रिव्यू नहीं होने से अन्तिम हो चुका है. इसके अतिरिक्त, वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रश्नगत कृषि भूमि पर उनके कब्जा में स्वयं प्रतिवादीगण अथवा किसी अन्य मित्र, रिश्तेदार के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है. किन्तु इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है ऐसी स्थिति में, वादीगण के कब्जा का विनिश्चिय पत्रावली में साक्ष्यो उपरान्त ही किया जा सकता है. इस प्रकार विचाराधीन वादपत्र किसी भी दृष्टिकोण से विधि द्वारा बाधित नहीं होने के कारण आवेदनपत्र निरस्त किया गया.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र वादी श्री सुरजीतसिंह द्वारा प्रश्नगत चक 1 सी बडी के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 4 से 7, 15, 16, 25 की कुल 6.05 बीघा कृषि भूमि से सम्बन्धित विकय विलेख दिनांक 22 अप्रेल, 1992 के निष्पादन के सम्बद्व प्रस्तुत किया गया है. उक्त विकय विलेख दिनांक 22 अप्रेल, 1992 के आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि श्री गुरमुखसिंह को राशि 57,000.00 में विकी करना बताया गया है. प्रश्नगत कृषि भूमि आवेदक के पिता श्री बख्तावरसिंह के नाम से पारिवारिक सदस्यों की संख्या के आधार पर आवंटित की गयी थी. जो राजस्व अभिलेखों में श्री बख्तावरसिंह के नाम पर दर्ज है. वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 22 अप्रेल, 1992 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है. अपजीकृत इकरारनामा के आधार पर जमाबन्दी में दर्ज नामान्तरित व्यक्ति के विरूद्व किसी भी प्रकार का वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता. उक्त वाद अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जा विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है. तथा आदेश 7 नियम 11 के उपबन्धों के अनुसार वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. वर्तमान में पत्रावली साक्षी प्रतिवादी की जिरह हेतु निश्चित है किन्तु विधि द्वारा बाधित किसी भी नियम की पालना करवाने हेतु आवेदनपत्र किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है इसलिये साक्षी प्रतिवादी की जिरह से पूर्व आवेदनपत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक है. इस प्रकार विचाराधीन वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया गया. वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नही करने के कथन करने के परिणामतः जवाब आवेदनपत्र बन्द किया गया. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2018 द्वारा पत्रावली के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पूर्व में भी इन्हीं तथ्यों के आधार पर आवेदनपत्र दिनांक 16 जून, 2017 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया था जिसे आदेश दिनांक 7 नवम्बर, 2017 को निरस्त किया जा चुका है, तत्कालीन एवं वर्तमान में प्रकरण की परिस्थिति में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है व न ही कोई भिन्न तथ्य ही प्रस्तुत किये गये हैं. प्रश्नगत कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में गैर खातेदारी है तथा डी.पी.एण्ड सी.आर. एक्ट के री–पील होने पर अपंजीकृत इकरारनामा की बाबात धारा 19(2) की कार्यवाही पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष नियमन हेतु पृथक से विचाराधीन है जिसके परिदृश्य विचाराधीन वादपत्र विधि द्वारा बाधित नहीं होने के कारण आवेदनपत्र निरस्त किया गया.

साक्षी प्रतिवादी की जिरह हेतु प्रतिवादी अधिवक्ता को रूक रूक कर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपसिति नहीं आने पर कार्यालय के सहायक कर्मी को प्रतिवादी अधिवक्ता को बुलाने हेतु भेजे जाने पर सूचना दी गयी कि अधिवक्ता प्रतिवादी आये ही नहीं. अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से किसी भी प्रकार की सूचना/पर्चा पैरवी प्रस्तुत नहीं आने पर प्रतिवादीगण को रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 26 मार्च, 2018 द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 12 अप्रेल, 2018 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया सहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन वाद पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी की जिरह हेतु निश्चित है. प्रतिवादी मा. न्यायालय के समक्ष दिनांक 26 मार्च, 2018 को अपने खेत में चने की फसल की कटाई के कारण उपस्थित नहीं आ सकता. आवेदक के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास जिला कलक्टर, बीकानेर में न्यायिक प्रकिया के कारण अचानक बीकानेर जाने के कारण आवेदक उनसे सम्पर्क नहीं कर पाया एवं न ही आवेदक के अधिवक्ता अपनी ओर से किसी अन्य को पैरवी के लिये हिदायत दे गये. विगत तारीख निांक 26 मार्च, 2018 को आवेदक व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी की जिरह बन्द की जाकर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश जारी किये गये हैं. जबकि आवेदक जानबूझ कर न्यायालय से अनुपस्थित नहीं रहा एवं आवेदक के अधिवक्ता आवश्यक रूप से बीकानेर गये हुऐ थे. साक्ष्य प्रतिवादी की जिरह आवश्यक है जिसमें आवेदक को आवश्यक अभिलेख प्रदर्श करवाया जाना है. इसलिये आवेदक की साक्ष्य खोली जाकर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है. आवेदक द्वारा जानबूझ कर मा. न्यायालय में न आने की गलती नहीं की बल्कि पेशे से कृषक है तथा उसके लिये मौसम को देखते हुऐ चने की कटाई करना आवश्यक था. इस प्रकार एकपक्षीय आदेश दिनांक 26 मार्च, 2018 को अपास्त कर साक्षी प्रतिवादी की जिरह का अवसर दिये जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में श्रीगंगानगर-बीकानेर की दिनांक 26 मार्च, 2018 की रेल्वे टिकट की प्रति संलग्न प्रस्तुत की गयी. आवेदनपत्र पर वादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र की प्रति लेने से इन्कार की टिप्पणी प्रस्तुत की गयी.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 18 जुलाई, 2018 द्वारा, पत्रावली के अनुसार दिनांक 26 मार्च, 2018 को प्रतिवादी अधिवक्ता को रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने पर सहायक कर्मचारी को बुलाने हेतु भेजे जाने पर अधिवक्ता प्रतिवादी के नहीं आने की सूचना दी गयी.

तत्पश्चात, साक्षी प्रतिवादी को रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी एवं साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में श्रीगंगानगर–बीकानेर की दिनांक 26 मार्च, 2018 की रेल्वे टिकट की प्रति से स्पष्ट है कि अधिवक्ता प्रतिवादी दिनाक 26 मार्च, 2018 को बीकानेर प्रवास पर रहे हैं जिनके द्वारा किसी भी अन्य अधिवक्ता को पैरवी के लिये हिदायत भी नहीं दी गयी. ऐसी स्थिति में, न्यायहित में राशि 500.00 कॉस्ट पर आवेदनपत्र स्वीकार करते हुऐ पूर्व आदेश दिनांक 26 मार्च, 2018 अपास्त जाकर साक्षी प्रतिवादी की जिरह हेतु अन्तिम रूप से एक ही अवसर दिया गया. जिसकी पालना मे साक्षी प्रतिवादी प्रस्तुत नही करने के परिणामतः आदेश दिनांक 20 अगस्त, 2018 द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 1 सी बडी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 4 से 7, किला नम्बर 13 से 18 एवं किला नम्बर 23 से 25 कुल 3.048 हैक्टर श्री बख्तावरसिंह को आवंटित की गई जिसमें से श्री बख्तावरसिंह द्वारा 6.05 बीघा जरिये इकरारनामा श्री गुरमुखसिंह एवं शेष 6.05 बीघा जरिये इकरारनामा श्री दरबारासिंह को विक्रय की गयी?

....वादीगण

चक 1 डी बड़ी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071 के अनुसार खाता संख्या 113/103 मुरब्बा नम्बर 60 की 3.048 हैक्टर कृषि भूमि श्री बख्तावरसिंह आत्मज श्री पठानासिंह, रायसिख सा.देह गैर खातेदार(कस्टोडियन विभाग) दर्ज है जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत कृषि भूमि श्री बख्तावरसिंह को आवंटित की गयी है किन्तु वादपत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र में इस आशय का कोई भी तथ्य अथवा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि क्या प्रश्नगत कृषि भूमि श्री बख्तावरसिंह को बतौर कलेमेन्ट आवंटित की गयी अथवा बतौर नॉन क्लेमेन्ट. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेख दस्तावेज इकरारनामा बैय दिनांक 22 अप्रेल, 1992, शपथपत्र दिनांक 22 अप्रेल, 1992 एवं पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 22 जनवरी, 1975 से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि श्री बख्तावरसिंह को आवंटित कृषि भूमि में से 6.05 बीघा कृषि भूमि को विक्रय करने का इकरारनामा श्री गुरमुखसिंह के पक्ष में तथा शेष 6.05 बीघा कृषि भूमि का विक्रय की जानी प्रतीत

होती है, जिसकी बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(पुर्नवास), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण संख्या 48/2012 शीर्षक कुशालसिंह व अन्य बनाम दरबारासिंह व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(पुर्नवास), श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09 जून, 2014 द्वारा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा क्रयाधीन कृषि भूमि के नियमन हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा इकरारनामा से व्यथित होने की स्थिति में सिविल न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने के परिदृश्य वादपत्र निरस्त किया गया है. इसी क्रम में, मा. न्यायालय सिविल न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष विचाराधीन विविध दीवानी संख्या 99/2015 शीर्षक अमरसिंह व अन्य बनाम मस्तानसिंह व अन्य में मा. न्यायालय सिविल न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 2015 द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र निरस्त किया गया. यहां यह तथ्य अंकित किया जाना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा श्री बख्तावरसिंह की मृत्योपरान्त दर्ज किये गये नामान्तरकरण संख्या 710 दिनांक 20 मार्च, 2015 के विरूद्व प्रस्तुत अपील संख्या 9/2015 शीर्षक अर्जनसिंह व अन्य बनाम अमरसिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10 सितम्बर, 2015 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 710 निरस्त करते हुऐ प्रकरण तहसीलदार, श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित किया गया है. यहां तक कि इसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण के साथ विविध आवेदनपत्र संख्या 45/2015 शीर्षक कुशालसिंह व अन्य बनाम अरजनसिंह व अन्य में इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7 जुलाई, 2015 द्वारा बैयनामा दिनांक 22 जनवरी, 1975 एवं इकरारनामा दिनांक 22 अप्रेल, 1992 की बाबत धारा 19(2) डी.पी. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन होने के परिदृश्य आवेदनपत्र निरस्त किया गया है. इस प्रकार श्री बख्तावरसिंह द्वारा 6.05 बीघा जरिये इकरारनामा श्री गुरमुखसिंह एवं शेष 6.05 बीघा जरिये इकरारनामा श्री दरबारासिंह को विक्रय की जानी स्पष्ट है, इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

> विवाद्यक संख्या 2 – क्या श्री गुरमुखसिंह के वारिसान इकरारनामा द्वारा क्रय की गयी चक 1 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 4 से 7, किला नम्बर 15, 16 एवं 25 की 6.05 बीघा कृषि भूमि की बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं? **..वादीगण**

चक 1 सी बडी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 4 से 7, किला नम्बर 13 से 18 एवं किला नम्बर 23 से 25 कुल 3.048 हैक्टर श्री बख्तावरसिंह को आवंटित की गई जिसमें से श्री बख्तावरसिंह द्वारा 6.05 बीघा जरिये इकरारनामा श्री गुरमुखसिंह को विक्रय की गयी. तथा इकरारनामा की बाबत सक्षम

न्यायालय के समक्ष धारा 19(2) डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन चली आ रही है. ऐसी स्थिति में, वादीगण इकरारनामा द्वारा क्रयाधीन चक 1 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 4 से 7, किला नम्बर 15, 16 एवं 25 की 6.05 बीघा कृषि भूमि की बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्व, वादीगण का भौतिक कब्जा सिद्व होने की स्थिति में ही, स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 3 – क्या प्रश्नगत कृषि भूमि का भौतिक कब्जा प्रतिवादीगण के पास चला आ रहा है?

....प्रतिवादीगण

राजस्व पटवारी, ओडकी भू.अ.निरीक्षक हिन्दूमलकोट द्वारा जारी दैनिक डायरी दिनांक 26 जून, 2015 के अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि पर पूर्व में नरमा बीजान था जिसे श्री अमरसिंह व अन्य द्वारा हल चला दिया फिर अमरसिंह व अन्य द्वारा ग्वार बीजान किया गया जिसे दरबारासिंह व गुरमुखसिंह के वारिसान द्वारा हल चला दिया गया बताया. वर्तमान में दरबारासिंह, गुरमुखसिंह के वारिसान द्वारा पानी लगा कर किला नम्बर 5 व 6 में ग्वार की बिजाई की गयी. जिसकी बाबत कुछ सम्मानित व्यक्ति द्वारा उक्त बिजाई अमरसिंह के वारिसान द्वारा की जानी बतायी गयी. मौका पर पूछताछ के अनुसार विरोधाभासी के तथ्य होने के कारण मौका पर कब्जा की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी. किन्तु वादीगण की ओर से वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संगम, सुजावलपुर द्वारा जारी पानी की पर्ची वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 जो मुरब्बा नम्बर 78 के 12.03 बीघा से सम्बद्व है. ऐसी स्थिति में, वादीगण का प्रश्नगत कृषि भूमि पर भौतिक कब्जा सिद्व नहीं होता है. इस प्रकार वादीगण किसी भी अभिलेखीय साक्ष्य से यह सिद्व करने में नितान्त असफल रहे हैं कि प्रश्नगत कृषि भूमि पर वादीगण का ही भौतिक कब्जा है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों के विनिश्चिय के अनुसार श्री बख्तावरसिंह आवंटित चक 1 डी बड़ी के खाता संख्या 113/103 मुरब्बा नम्बर 60 की 3. 048 हैक्टर कृषि भूमि में से श्री बख्तावरसिंह द्वारा 6.05 बीघा जरिये पंजीबद्व विक्रय विलेख द्वारा श्री गुरमुखसिंह एवं शेष 6.05 बीघा जरिये इकरारनामा श्री दरबारासिंह को विक्रय किया गया जिसकी बाबत नियमानुसार इकरारनामा की बाबत सक्षम न्यायालय के समक्ष धारा 19(2) डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन चली आ रही है. वादीगण किसी भी अभिलेखीय साक्ष्य से यह सिद्व करने में नितान्त असफल रहे हैं कि प्रश्नगत कृषि भूमि पर वादीगण का ही भौतिक कब्जा है. ऐसी स्थिति में, वादीगण, चक 1 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 4 से 7, किला नम्बर 15, 16 एवं किला

नम्बर 25 की कुल 6.05 बीघा कृषि भूमि की बाबत किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के कारण वादपत्र निरसत किये जाने योग्य है.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र निरसत किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 16 अक्तूबर, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.